

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

साँची विज्ञापन / बोर्ड
निर्माणकर्ता
एजेंसी नियुक्ति हेतु
अल्पकालीन तृतीय ई-निविदा
प्रपत्र
वर्ष 2023-24

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, करौंदा, इमलिया, कटनी
रोड, जबलपुर
कस्टमरकेयर नंबर-9406900500, E.mail- jdssanchi@gmail.com.
jabalpur.sanchi@gmail.com

क. 1651/जेएसडीएस/विप.-पीसी-03/2023 जबलपुर

दिनांक: 16.06.2023.

साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता एजेंसी नियुक्ति हेतु अल्पकालीन द्वितीय
ई-निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं घी के प्रचार-प्रसार के लिये साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता एजेंसी नियुक्ति हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक आवेदक अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाइट mptenders.gov.in से रू. 500/-भुगतान कर कय किये जा सकते हैं जो दिनांक 17.06.2023 से दिनांक 23.06.2023 दोपहर 1:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते हैं। निविदा के लिये निर्धारित ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) ऑनलाईन ही जमा करनी होगी।

निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन वेबसाइट www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

1.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय एवं जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 17.06.2023 प्रातः 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 23.06.2023 दोपहर 1:00 बजे तक
3.	तकनीकी बिड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	26.06.2023 अपराह्न 03:00 बजे
4.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रूपये 10,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
5.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)
6.	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
7.	साँची फ्लेक्स/बेनर/बोर्ड निर्माणकर्ता कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें एवं तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप।	प्रपत्र 01 एवं 02
8.	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
9.	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04

नोट:-

- पहले “तकनीकी अर्हताओं” का परीक्षण किया जावेगा। तकनीक रूप से सफल होने वाले निविदाकारों के निविदा शर्तों में चाहे गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। तकनीकी रूप से तथा निविदा शर्तों में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत की गई ई-निविदा मान्य नहीं किये जाएंगे।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :-निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि एक वर्ष के लिए आमंत्रित है।
- 3.

साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता के लिए एजेंसी नियुक्ति हेतु
ई-निविदा आवश्यक शर्तें

1. “अ”– निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. टंकण त्रुटि या किसी अन्य कारण से निविदा की शर्तों एवं अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब निविदा की शर्तों एवं अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि निविदाकार/द्वितीय पक्ष पर बन्धनकारी होगा।
3. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की ऐसा निविदा निरस्त समझी जावेगी।
6. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रुपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल ऑनलाईन ई-टेण्डर में ही वर्णित करनी होगी। दरें अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत करना होगी। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी दर को मान्य किया जाएगा।
8. किसी भी निविदा को कारण सहित बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
9. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें।
10. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता के लिए बतौर प्रतिभूति राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) RTGS/NEFT या चेक के माध्यम से संघ कार्यालय में जमा करनी होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृति के उपरांत निविदाकार की कार्य अवधि एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।
12. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

13. फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को फ्लेक्स बेनर एवं बोर्ड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
14. सभी बोर्ड 22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बनाने होंगे।
15. दुग्ध संघ द्वारा फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को साँची आउटलेट की सूची दी जाएगी, यह आउटलेट जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिदंवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली जिलों में स्थित है। निर्माता को दिये गये आउटलेट पर बोर्ड लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड का रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
16. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा सम्पूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जाएगा।
17. एजेंसी बोर्ड एक तरफ से प्रिंटेड होंगे।
18. निविदाकार को शासकीय/सहकारी संस्था के साथ कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु कार्यादेशों की छायाप्रति संलग्न करना होगी।
19. निविदाकार के पास GST No होना अनिवार्य होगा।
20. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता अथवा अन्य द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे। तत्पश्चात् ही कार्यादेश दिया जावेगा तथा ऐसा नहीं करने पर आवेदक की दावेदारी निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
21. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एन.ओ.सी को आवेदन प्रक्रिया में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जावेगी तथा ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
22. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
23. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
24. कोई भी निविदाकार एमपीसीडीएफ भोपाल एवं सम्बद्ध समस्त दुग्ध संघों में से किसी भी कार्य/अनुबंध हेतु अनियमितताओं के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए अन्यथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
25. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
जबलपुर

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता एजेंसी नियुक्ति हेतु दिनांकको दैनिक समाचार पत्र पत्रिका/राज एक्सप्रेस में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ईएमडी राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) ऑनलाइन जमा की स्लीप संलग्न की जा रही है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता ।		पंजीकृत पार्टनर शीप डीड ।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य ।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है ।		GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न

6	निविदाकार को शासकीय/सहकारी संस्था के साथ कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		इस हेतु कार्यादेशों छायाप्रति संलग्न करना होगी।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक की छायाप्रति लगावें।
8	वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो। (Assessment year 2020-21 एवं 21-22)		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
9	ईएमडी राशि रु. 10,000/- ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।		ऑनलाईन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
11	निविदा फॉर्म रु. 500/- का ऑनलाईन भुगतान कर क्रय करें।		ऑनलाईन भुगतान की रसीद संलग्न करें।
12	निविदाकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
13	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
14	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर भाषण पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता
एजेसी नियुक्ति हेतु
भाव पत्र

1. प्रस्तावित दर –

क्र.	कार्य का विवरण	दर रूपये प्रति वर्गफीट
1	22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बने एजेसी बोर्ड (स्थापना सहित) हेतु दर रूपये प्रति वर्गफीट	अंको में (.....) शब्दों में (.....)

समस्त दर सभी कर सहित प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर

नाम-----

साँची विज्ञापन बोर्ड निर्माणकर्ता हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड़, अधारताल, जबलपुर एवं श्री/मेसर्सजिन्हें आगे ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व साँची विज्ञापन/बोर्ड निर्माणकर्ता कार्य संपादित करेंगे –

1. जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा चाही गई डिजाईन अनुसार (विज्ञापन डिजाईनिंग का कार्य निर्माणकर्ता को करना होगा।) एवं आकार में 22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप में स्टार फ्लेक्स पर एक तरफ से प्रिंटेड एजेंसी बोर्ड हेतु दर रुपये प्रति वर्गफीट प्रभावशील रहेगी।
2. एक माह की अग्रिम सूचना देकर यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस कार्य छोड़ने बाबत देना होगा।
3. फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को साँची विज्ञापन बोर्ड दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन एवं आकार में बनाये जाने होंगे।
4. सभी बोर्ड 22 गेज के एमएस सीट के एक वर्ग इंच के स्केयर पाईप में स्टार फ्लेक्स से बनाने होंगे।
5. दुग्ध संघ द्वारा फ्लेक्स बोर्ड निर्माता को साँची आउटलेट की सूची दी जाएगी, यह आउटलेट जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिदंवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली जिलों अथवा आसपास के कार्यक्षेत्र में स्थित है। निर्माता को दिये गये आउटलेट पर बोर्ड लगाकर स्थापित किये गये प्रत्येक बोर्ड का रंगीन फोटो उपलब्ध कराना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जाएगा।
6. सभी कार्य कार्यादेश जारी होने के एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा तथा सम्पूर्ण भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही किया जाएगा।
7. एजेंसी बोर्ड एक तरफ से प्रिंटेड होंगे।
8. निविदाकार के पास GST No. होना अनिवार्य होगा।
9. अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा।

10. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध ठेकादार द्वारा प्रथम पक्ष के पास रूपये 25,000/— प्रतिभूति जमा की गई, जिसे अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस किया जा सकेगा।
11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा सॉची के विक्रय केन्द्रों पर बोर्ड स्थापित करने के लिए नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अथवा संबंधित के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को ठेकेदार द्वारा तुरन्त हटाना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लेक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
12. यह अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
13. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
14. दुग्ध संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी।
15. इस अनुबंध में जो दरें स्वीकृत की गई हैं वह दरें अनुबंध अवधि में परिवर्तित नहीं की जाएगी।
16. उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
17. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator प्रबंध संचालक महोदय एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जावेगा। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
18. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा।
19. यदि ठेकेदार शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।
20. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए जबलपुर दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण जबलपुर दुग्ध संघ को होने वाली

क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि ठेकेदार से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

21. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
22. निविदा की प्रक्रिया/शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश ठेकेदार को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माना जावेगा, व उसका पालन ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करना होगा।
23. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधिन दुग्ध संघ एवं ठेकेदार की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक निष्पादित किया गया है।
24. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात् शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।
मे. पिता/पति/पत्नि..... ठेकेदार,
अपना उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री/श्रीमती/कु. को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोशप्रद कार्य करने पर "नोड्यूज" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर ठेकेदार –

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. करौंदा, इमलिया कटनी
रोड़, जबलपुर – 482002

नाम.....

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
साँची विज्ञापन/बोर्ड
निर्माणकर्ता एजेन्सी
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :
पता:.....

नाम :
पता:

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1- जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा साँची विज्ञापन/बोर्ड निर्माणकर्ता एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा साँची विज्ञापन/बोर्ड निर्माणकर्ता एजेन्सी नियुक्ति हेतु निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक हस्ताक्षर भापथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम -
पिता -
आयु -
निवासी -

1- मेरे द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित साँची विज्ञापन/बोर्ड निर्माणकर्ता एजेन्सी नियुक्ति हेतु ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित साँची विज्ञापन/बोर्ड निर्माणकर्ता एजेन्सी नियुक्ति हेतु ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>